UPEW010021462025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी०ए०)एक्ट, इटावा।

विशेष सत्र वाद सं०–462/2025

मधुदेवी बनाम जयकिशन आदि।

दिनांक 06.04.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। विगत तिथि को परिवादिनी को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। अतः पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादिनी/प्रार्थिनी का संक्षेप में कथन है कि वह अनुसूचित जाति कोरी है जबकि विपक्षीगण दबंग गुण्डा किस्म के सवर्ण जाति के हैं जिसमें कुछ लोग उसके परिवारीजनों एवं उसे आंगनबाड़ी का कार्य सुचारू रूप से नहीं करने देते हैं। दिनांक 18.12.2024 को समय करीब 7.30 बजे शाम प्रार्थिनी शौच के लिए गांव के बाहर गयी थी वहां पर घात लगाये जयकिशन, राजेश्वर दयाल, रमन, मुकेश, रंजीत ने उसे चारों ओर से घेर लिया जयकिशन ने उसके मुंह में अंगौछा बांध दिया जिससे वह आवाज नहीं लगा पायी, राजेश्वर, रमन, मुकेश व रंजीत ने उसके साथ छेड़खानी करने लगे तथा उसका ब्लाउज फाड़ दिया, किशन, रमन, राजेश्वर, मुकेश व रंजीत ने उसकी छाती दबा दी तथा उसे जमीन पर गिरा लिया। मुकेश जबरदस्ती कपड़े ऊपर कर रहा था इतने में हलचल की आवाज सुनकर पास गुजर रहे कुछ लोग मौके पर आ गये। विपक्षीगण को ललकारा तो मुल्जतकान गाली देते कह रहे थे कुरनियां आज बच गयी अब की नहीं छोड़ेगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। मौके पर रामानुज, पुष्पेन्द्र ने घटना देखी व अभियुक्तगण को ललकारा था। वह थाने गयी तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब उसने दिनांक 13.12.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया जाना कहा है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस.को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया था। परिवादिनी ने स्वयं का बयान धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत लेखबद्ध कराया है। धारा 225 बी.एन.एस.एस के अन्तर्गत परिवादिनी ने किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

विपक्षी जयकिशन की ओर से आपत्ति 13 ख दाखिल की गयी है जिसमें उसने कहा है कि वह निर्दोष है उसका उपरोक्त घटना से कोई लेना–देना नहीं है। गांव की पार्टीबन्दी के कारण झूंठा फंसाया है। दावा निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में घटना

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.04.06 17:21:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 12.08.2024 की बतायी है। जबकि अपने परिवाद पत्र में परिवादिनी ने घटना दिनांक 18.12.2024 की बतायी है। स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा बतायी गयी घटना की तिथि मेल नहीं खाती है।

परिवादिनी द्वारा मौके पर रामानुज एवं पुष्पेन्द्र द्वारा घटना को देखा जाना अभिकथित किया है, परन्तु उपरोक्त दोनों ही व्यक्तियों को परिवादिनी द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित न कराये जाने का कोई कारण ही बताया है। ऐसे में किसी भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी से घटना का समर्थन नहीं होता है। जहां तक परिवादिनी द्वारा अपने बयान एवं परिवाद पत्र में घटना की तिथि को अंकित कराये जाने का प्रश्न है, घटना की तिथि के सम्बन्ध में विरोधाभास है। जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। परिवादपत्र के समर्थन में परिवादिनी की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाबजूद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अपने कथनों के समर्थन में किसी भी साक्षी को परीक्षित न कराये जाने के कारण परिवादिनी के कथनों की सम्पुष्टि नहीं होती है।

अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पर कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। तदनुसार परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादिनी मधुदेवी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 226 बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(संजय कुमार IV)
जे. ओ कोड यू०पी०–6462
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट,इटावा।
06.04.2026